

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं०

1. जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022  
प्र०सू०रि० सं. 23/22 दिनांक 28/1/22

2. (i) अधिनियम..... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें ..... 7

(ii) अधिनियम..... भा.द.स..... धारायें ..... 384

(iii) अधिनियम..... धारायें.....

(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (क) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 653 समय ..... 12-15 PM

(ख) अपराध घटने का दिन गुरुवार दिनांक :- 27.01.2022 समय ..... 01.15 पीएम

(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :- ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक :- लिखित

5. घटनास्थल :- तहसील कार्यालय लाडनू जिला नागौर।

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- सीकर से पश्चिम दिशा में करीब 85 किलोमीटर

(ब) पता :- तहसील कार्यालय लाडनू जिला नागौर।

(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-

(अ) नाम :- श्री गणेशाराम

(ब) पिता/पति का नाम :- श्री छोटूराम

(स) जन्म तिथि/वर्ष :- 37 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता- ..... भारतीय .....

(य) पासपोर्ट संख्या .....

जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....

(र) व्यवसाय :- .....

(ल) पता :- निवासी गांव सुनारी पुलिस थाना लाडनू जिला नागौर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-

श्री मदनलाल पुत्र श्री पुरखाराम, जाति रैगर, उम्र-43 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 29 कस्बा लाडनू जिला नागौर हाल पटवारी पटवार हल्का सुनारी तहसील लाडनू जिला नागौर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :- .....

..... कोई देरी नहीं हुई .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 8,000 रुपये.....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :-

दिनांक 14.01.2022 को परिवादी गणेशाराम ने अपने मोबाईल नम्बर 9772738949 से श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस एसीबी सीकर को कॉल कर पटवार हल्का सुनारी के पटवारी श्री मदललाल द्वारा रिश्वत मांगने तथा पटवारी को रिश्वत नहीं देकर उसे पकड़वाने की कही, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर परिवादी के चाहेनुसार दिनांक 17.01.2022 को समय 10.00 एएम पर कार्यालय के श्री रामनिवास कानि. को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी से उसके गांव सुनारी में सम्पर्क कर परिवादी को टेप चालू व बन्द करने की विधि समाने तथा परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने की हिदायत देकर रवाना किया गया।

कार्यवाही पुलिस

17.01.2022

7.00 पीएम श्री रामनिवास कानि. ने उप अधीक्षक के समक्ष परिवादी श्री गणेशाराम द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " मेरे गांव सुनारी तहसील लाडनू जिला



नागौर में मेरे पिताजी के नाम कृषि भूमि खसरा संख्या पुराना 127/477 थी। मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात मेरे तथा मेरे भाई, बहिनों तथा माताजी के नाम विरासत का नामान्तरण दर्ज किया गया जिसका खसरा संख्या 745/127 है तथा 1/6 के बराबर हिस्सेदार है। उक्त खसरा में से हम सभी लोगों ने श्री सांवरमल पुत्र श्री जय किशन जाति जांगिड निवासी सुनारी को आधा बिघा भूमि का बेचान किया मेरे पिताजी द्वारा पूर्व में किया गया था जिसकी आज तक कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई गई है। उक्त श्री सांवरमल के नाम मैंने आधा बिघा भूमि का रजिस्ट्री करवाने के लिये पटवारी से जमाबंदी नकल ली तथा उनसे इस संबंध में वार्ता की तो पटवारी श्री मदनलाल हल्का सुनारी ने कहा कि उक्त खसरे में आपकी भूमि नहीं है। पटवारी ने कहा कि आपके खसरे की शुद्धी कर भूमि को नक्शे के दिखाने के बाद ही आपकी रजिस्ट्री होगी। मैंने पटवारी को भूमि नक्शे में दिखाने की कही तो उसने मेरे से 8000 रुपये देने की कही। मैं उक्त पटवारी श्री मदनलाल को 8000 रुपये बतौर रिश्वत के देना नहीं चाहता और उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। रिपोर्ट देता हूँ कार्यवाही करें।" एसडी- गणेशाराम पुत्र श्री छोटूराम, उम्र-37 वर्ष, जाति जाट, निवासी गांव सुनारी पुलिस थाना लाडनू जिला नागौर, मोबाईल नम्बर 9772738949 दिनांक 17.01.2022, एसडी-जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 17.01.2022, एसडी-विनोद कुमार दिनांक 25.01.2022, एसडी-सुभाषचन्द दिनांक 25.01.2022

श्री रामनिवास कानि. ने उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि " गांव सुनारी पहुँच मैंने परिवादी से उसके घर पर सम्पर्क कर उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा परिवादी को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि समझाई। परिवादी ने आरोपी पटवारी से सम्पर्क किया तो आरोपी पटवारी ने परिवादी के घर पर ही आने की कही, जिस पर मैं परिवादी के घर में अन्दर की तरफ बैठ गया। आरोपी पटवारी के आने पर परिवादी ने उससे वार्ता की तथा पटवारी के जाने के बाद टेप रिकार्डर मुझे सुपुर्द कर दिया।" परिवादी ने आईन्दा सम्पर्क कर कार्यालय में उपस्थित होने की कही है। आरोपी पटवारी द्वारा रूपयों के संबंध में रिश्वत की स्पष्ट मांग नहीं करना पाये जाने पर उप अधीक्षक पुलिस ने डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित आलमीरा में रखा। दिनांक 19.01.2022 को समय 7.00 एएम पर श्री रामनिवास कानि. को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड अपनी आलमीरा से निकालकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत देकर रवाना गांव सुनारी किया गया। उसी दिन समय 7.00 पीएम पर श्री रामनिवास कानि. ने कार्यालय में उपस्थित होकर टेप रिकार्डर उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि "गांव सुनारी पहुँच मैंने परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी ने आरोपी से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क कर पटवारी को उसके निवास स्थान लाडनू होना बताया, जिस पर हम दोनों गांव सुनारी से रवाना होकर लाडनू पहुँचे जहाँ मुख्य बाजार में परिवादी ने आरोपी से सम्पर्क किया तो आरोपी पटवारी ने मुख्य बाजार में पुलिया के पास ही आने की कही, जिस पर मैंने परिवादी को टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दिया तथा मैं साईड में मुकिम हो गया, कुछ समय बाद पटवारी के आने पर परिवादी ने अपने कार्य के वार्ता की तथा आरोपी पटवारी के जाने के पश्चात परिवादी ने मुझे टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दिया, जिस पर मैंने परिवादी को लाडनू में ही छोड़कर सीकर के लिये रवाना हो गया।" उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से 8000 रुपये बतौर रिश्वत की मांग किया जाना पाया गया।

तत्पश्चात दिनांक 24.01.2022 को 01.00 पीएम पर परिवादी गणेशाराम ने उप अधीक्षक पुलिस से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर दिनांक 25.01.2022 को आरोपी पटवारी के विरुद्ध लाडनू पहुँच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करवाने की कही। उप अधीक्षक पुलिस के दिगर राजकार्य में व्यस्त होने के कारण परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.01.2022 एवं 19.01.2022 की वार्ता रिकार्ड है, को मन् सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अब तक की कार्यवाही से अवगत कराया जाकर मामले में अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय खनि अभियंता खान एवं भू-विज्ञान विभाग सीकर से श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुभाषचन्द वरिष्ठ सहायक को तलब किया जाकर दिनांक 25.01.2022 को समय 7.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रुखसत किया गया।

दिनांक 25.01.2022 को समय 8.00 एएम पर तलबीदा गवाहान श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुभाषचन्द वरिष्ठ सहायक के उपस्थित कार्यालय आने पर



फिनोपथलीन पाऊंडर की शीशी मालखाना से निकलवाई जाकर उसे सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द मय श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस मय मौतवीरान श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुभाषचन्द वरिष्ठ सहायक, श्री रोहिताश्व सिंह एसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्रीमती मंजू महिला कानि., श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप, रिश्वत मांग सत्यपन वार्ता का मेमोरी कार्ड हमरा लेकर जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहन सीकर से रवाना होकर करबा लाडनू बाईपास रोड डीडवाना चौराहा पहुँचा, जहाँ परिवादी गणेशाराम मौजूद मिला, जहाँ पर वाहनों को साईड में रूकवाकर परिवादी गणेशाराम का दोनों गवाहान से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात परिवादी गणेशाराम ने आरोपी श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का सुनारी तहसील लाडनू जिला नागौर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले पाँच-पाँच सौ रूपयों के 16 नोट कुल 8000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :-

- 1-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 6 GM 746604
- 2-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 5 CL 991944
- 3-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 4 EM 762312
- 4-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 3 CQ 572902
- 5-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 6 KK 439324
- 6-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 4 FW 991157
- 7-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 9 EK 735130
- 8-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 8 GT 480105
- 9-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 9 DQ 535530
- 10-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 DD 043172
- 11-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 9 DT 765004
- 12-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 0 HE 562616
- 13-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 8 GT 432475
- 14-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 KQ 791845
- 15-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 2 HT 002692
- 16-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 6 AQ 465999

फिनोपथलीन की शीशी गाडी के डेस्क बोर्ड से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री मूलचन्द कानि. नं. 207. से हस्ब कायदा फिनोपथलीन पाऊंडर लगवाया जाकर गवाह श्री विनोद कुमार से परिवादी गणेशाराम की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोपथलीन पाऊंडर लगे 8,000 रूपयों के नोट श्री मूलचन्द कानि. नं. 207 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी को आरोपी द्वारा मांग किये जाने पर पाऊंडर लगे रूपये निकालकर उसे देने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने मोबाईल फोन नम्बर 9772738949 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9079554697 पर मिस कॉल देकर इशारा करने अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर इशारा करने की हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊंडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊंडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री मूलचन्द कानि. नं. 207 से वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री मूलचन्द कानि. नं. 207 के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिश्वत के लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी गणेशाराम को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। श्री मूलचन्द कानि. नं. 207 को नजदीकी होटल पर मुक़िम रहने की मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।



तत्पश्चात समय 11.23 एएम पर आरोपी पटवारी की मौजूदगी का पता जानने के लिये परिवादी के मोबाईल नम्बर 9772738949 से आरोपी मदनलाल पटवारी के मोबाईल नम्बर 7014331058 पर कॉल करवाकर परिवादी की वार्ता करवाई गई तो आरोपी पटवारी ने गांव विश्वनाथपुरा जाने की कही तथा वापिस आने का कोई निर्धारित समय नहीं होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के बाईपास सड़क पर वाहनों में ही मुकिम हुये। तत्पश्चात समय 01.22 पीएम पर पुनः आरोपी पटवारी की मौजूदगी का पता जानने के लिये परिवादी के मोबाईल नम्बर 9772738949 से आरोपी मदनलाल पटवारी के मोबाईल नम्बर 7014331058 पर कॉल करवाकर परिवादी की वार्ता करवाई गई तो आरोपी पटवारी ने आज नहीं आने की कही, जिस पर परिवादी से पाउडर लगे 8000 रुपये प्राप्त कर उनको एक लिफाफे में रखवाये गये तथा डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के कस्बा लाडनू से खाना होकर एसीबी कार्यालय सीकर पहुँचा। पाउडर लगे रिश्वती नोट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड आदि सुरक्षित आलमारी में रखवाये गये। गवाहान को मुनासिब हिदायत देकर रुखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 26.01.2022 को परिवादी गणेशाराम ने सम्पर्क कर बताया कि श्री मदनलाल पटवारी ने उसे दिनांक 27.01.2022 को सुबह तहसील कार्यालय लाडनू में आने की कही है। परिवादी ने कल दिनांक 27.01.2022 को कस्बा लाडनू पहुँच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने की कही। दिनांक 27.01.2022 को तलवीदा स्वतंत्र गवाहान श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुभाषचन्द वरिष्ठ सहायक के उपस्थित कार्यालय आने पर समय 09.00 एएम पर आलमारी में लिफाफे में रखे पाउडर लगे रिश्वती नोट 8000 रुपये, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड एवं दूसरा डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के हमरा लेकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस मय मौतवीरान श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुभाषचन्द वरिष्ठ सहायक, श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्रीमती मंजू महिला कानि. 483, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप, हमरा लेकर जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहन के सीकर से खाना होकर कस्बा लाडनू बाईपास रोड डीडवाना चौराहा पहुँचा जहाँ परिवादी गणेशाराम मौजूद मिला। मन् पुलिस निरीक्षक ने वाहनों को साईड में रुकवाकर परिवादी गणेशाराम की जामा तलाशी गवाह श्री विनोद कुमार से लिवाई जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में पाउडर लगे रिश्वती नोट 8000 रुपये श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से रखवाये गये तथा तय ईशारे बाबत मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिश्वत के लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी गणेशाराम को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी गणेशाराम को उसकी मोटरसाईल से श्री रामनिवास कानि. के साथ तहसील कार्यालय लाडनू की तरफ खाना कर उनके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के खाना होकर तहसील कार्यालय के पास पहुँच वाहनों को साईड में रुकवाकर श्री दलीप कुमार कानि. एवं श्री कैलाशचन्द कानि. को तहसील कार्यालय की तरफ पैदल-पैदल खाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में वाहनों में ही मुकिम हुआ।

समय करीब 01.05 पीएम पर वाहन में मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी का तय ईशारा मिस कॉल की सूचना प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय मौतवीरान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को साथ लेता हुआ इस समय 01.07 पीएम पर तहसील कार्यालय लाडनू के पीछे खुले परिसर में पहुँचा जहाँ परिवादी खड़ा मिला जिसने अपने पास खड़े एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि "मदनलाल जी पटवारी हैं, जिन्होंने मेरे से अपने कमरे/पटवार घर में 8000 रुपये रिश्वत के अपने दाहिने में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब में रखे हैं" इतने में ही उक्त व्यक्ति घबराते हुये चिल्लाने लगा तथा भागने लगा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराहीयान ट्रेप पार्टी की सहायता पकड़कर उक्त व्यक्ति का बायां हाथ श्री दलीप कुमार कानि. तथा दाहिना हाथ श्री कैलाशचन्द कानि. से कलाईयों के उपर से पकड़वाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा



तो इसने घबराते हुये अपना नाम मदनलाल पटवारी पटवार हल्का सुनारी तहसील लाडनू जिला नागौर होना बताते हुये बताया कि "मैने इससे कोई रूपये नहीं लिये हैं" मौके पर आरोपी पटवारी श्री मदनलाल अपने आप को छुड़वाने का भरसक प्रयास करने पर तथा मौके पर भीड़-भाड़ एकत्रित होने पर उक्त श्री मदनलाल पटवारी को उपरोक्त दोनों कानिगण के दोनों हाथों को कलाईयों के उपर से पकड़े-पकड़े हुये वाहन में बैठाया जाकर पास ही स्थित समय 01.15 पीएम पर पुलिस थाना लाडनू पहुँचा। तत्पश्चात दो काँच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोड़ा-थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊंडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी मदनलाल पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी मदनलाल पटवारी के बायें हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर-1 एवं आर-2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल-1, एल-2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार गवाह श्री विनोद कुमार जांगिड ने आरोपी पटवारी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे पाँच-पाँच सौ रूपयों के नोटों की थेई निकालकर पेश की, जिसे गवाह श्री विनोद कुमार से गिनवाया गया जो कुल 8000 रूपयों के नोट पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा कुल 8,000 हजार रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी मदनलाल पटवारी को को दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाकर उसकी पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर श्री कैलाशचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊंडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में आरोपी मदनलाल पटवारी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब जिसमें से रिश्वती राशि बरामद की गई, को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा-आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी-1 एवं पी-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी मदनलाल पटवारी की पेन्ट की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो पेन्ट की सामने की बाईं जेब में रखे पर्स में 31470 रूपये पाये गये जिनके बारे में पूछने पर आरोपी मदनलाल पटवारी ने आज सुबह मैने बाबूलाल पुत्र श्री नथमल रैगर जो कस्बा लाडनू में पशुओं के चारे की टाल चलाता है, से उधार के लिये हैं" आरोपी पटवारी द्वारा उक्त श्री बाबूलाल रैगर के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाने पर सम्पर्क करना चाहा तो मोबाईल फोन स्विच ऑफ मिला। मौके पर उक्त श्री बाबूलाल को उपस्थित लाने हेतु श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई को मय पुलिस जाप्ता के रवाना किया गया।

तत्पश्चात आरोपी मदनलाल की उक्त पेन्ट बरंग सफेद की पीछे की दाहिनी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क "ए" अंकित किया गया। आरोपी मदनलाल पटवारी से परिवादी श्री गणेशाराम के कार्य के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने कुछ भी बताने से इन्कार किया। मौके पर परिवादी गणेशाराम ने बताया कि मैने व मेरे भाई, बहिनो व माताजी के नाम बराबर-बराबर हिस्से में दर्ज भूमि में से श्री सांवरमल खाती पुत्र श्री जयकिशन जांगिड निवासी गांव सुनारी के नाम करीब आधा बीघा भूमि की रजिस्ट्री करवाने हेतु मै इनसे दिनांक 17 व 19.01.2022 को मिला तो इन्होने श्री सांवरमल के नाम रजिस्ट्री करने से पहले भूमि के नक्शे का शुद्धीकरण करने तथा खसरे में रास्ते की भूमि का नामान्तरण भरने के 8000 रूपये मांगे थे, आज जब मैने इनको 8000 रूपये दिये तो इन्होने कहा कि अब तेरा काम हो जायेगा" बार-बार आरोपी मदनलाल पटवारी से परिवादी से संबंधित कार्य के बारे में पूछा तो इसने कोई भी जबाब नहीं दिया, इस पर तहसील कार्यालय लाडनू से श्री गोपालराम पटवारी तहसील कार्यालय लाडनू को तलब किया जाकर परिवादी से संबंधित राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति प्राप्त की गई, जिसके अनुसार गांव सुनारी के खसरा नम्बर 745/127 रकबा 0.9793 है० में से 0.0530 है० भूमि का जरिये समर्पण नामान्तरण संख्या 1409 दर्ज



किया जाकर दिनांक 19.01.2022 को स्वीकृत किया गया। वर्तमान में उक्त खसरे का नया खसरा नम्बर 752/745 रकबा 0.9263 है० है। श्री गोपालराम पटवारी ने पूछने पर परिवादी गणेशाराम से संबंधित खसरे का आरोपी श्री मदनलाल पटवारी द्वारा नक्शे का कोई शुद्धीकरण करना या शेष होना नहीं बताया। श्री गोपालराम पटवारी ने उक्त जमाबंदी एवं उक्त खसरे से संबंधित दिनांक 27.01.2022 का नया नक्शा पेश किया। उपरोक्त डिजिटल राजस्व रिकार्ड की फोटो प्रति पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। दौराने कार्यवाही श्री रोहिताश्व सिंह एसआई मय श्री बाबूलाल रैगर को हमरा लेकर उपस्थित आया, जिस पर दोनों गवाहान के समक्ष उक्त श्री बाबूलाल रैगर को आरोपी पटवारी मदनलाल को रुपये उधार देने बाबत पूछा तो बताया कि मैंने आज सुबह श्री मदनलाल पटवारी को 40000 रुपये दिये है। उक्त 31470 रूपयों के बारे में सत्यापन होने के उपरान्त उक्त रुपये 31470 आरोपी पटवारी श्री मदनलाल को सुपुर्द किये गये। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क आर-1, आर-2, एल-1, एल-2, पी-1, पी-2, सील्ड रिश्वती राशि के कागज एवं सील्ड पेन्ट के पैकेट मार्क "ए" पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती नोट मौके पर तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का सुनारी तहसील लाडनू जिला नागौर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 384 भा.द.स. में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका घटनारथल हस्ब कायदा प्रथक से तैयार किया गया।

तत्पश्चात परिवादी गणेशाराम द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17.01.2022 एवं 19.01.2022 को आरोपी श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का सुनारी तहसील लाडनू जिला नागौर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। जिसको बारी-बारी से परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड उपरोक्त दोनों वार्तालाप में परिवादी गणेशाराम ने स्वयं की व आरोपी श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का सुनारी तहसील लाडनू जिला नागौर की आवाजों की पहचान की। मेमोरी कार्ड में टेप वार्तालाप को लैपटॉप में डाउनलोड कर दो सीडी तैयार की गई। मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपड़े की थैली में डलवाकर मार्क "बी" से सील्ड कर बतौर वजह सबूत जप्त किया गया।

तत्पश्चात परिवादी गणेशाराम द्वारा दौराने रिश्वत लेन-देन दिनांक 27.01.2022 को आरोपी श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का सुनारी तहसील लाडनू जिला नागौर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड उपरोक्त दोनों वार्तालाप में परिवादी गणेशाराम ने स्वयं की व आरोपी श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का सुनारी तहसील लाडनू जिला नागौर की आवाजों की पहचान की। मेमोरी कार्ड में टेप वार्तालाप को लैपटॉप में डाउनलोड कर दो सीडी तैयार की गई। मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपड़े की थैली में डलवाकर मार्क "सी" से सील्ड कर बतौर वजह सबूत जप्त किया गया। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी को मौके पर छोड़ा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी मय गिरफ्तार शुदा आरोपी पटवारी व जप्त शुदा वजह सबूत माल व रिकार्ड हमराह लेकर लाडनू से रवाना होकर सीकर पहुँच पुलिस थाना उद्योगनगर पहुँच आरोपी मदनलाल पटवारी को सुरक्षा की दृष्टि से जमा करवाकर एसीबी कार्यालय पहुँचा। जप्त शुदा माल वजह सबूत सुरक्षित हालत में जमा मालखाना करवाया गया।

की कार्यवाही से आरोपी श्री मदनलाल पुत्र श्री पुरखाराम, जाति रैगर, उम्र-43 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 29 कस्बा लाडनू जिला नागौर हाल पटवारी पटवार हल्का सुनारी तहसील लाडनू जिला नागौर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये परिवादी की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 745/127 रकबा 0.9793 है० में से 0.0530 है० में से परिवादी के गांव के श्री सांवरमल जांगिड को पूर्व में बेचान की गई भूमि की रजिस्ट्री करवाने से पूर्व रास्ते का नामान्तरण खुलवाने तथा रजिस्ट्री करने से पूर्व खाते के नक्शे का शुद्धीकरण करवाने तथा बिना नक्शा शुद्धीकरण के रजिस्ट्री नहीं होने की झूठी धमकी देकर परिवादी से दिनांक 17 व 19.01.2022 को 8000 रुपये रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक

27.01.2022 को 8000 रुपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का सुनारी तहसील लाडनू जिला नागौर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 384 भा.द.स. की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का सुनारी तहसील लाडनू जिला नागौर के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कर्मांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।




(सुस्थचन्द)

पुलिस निरीक्षक,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर



## कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 384 भादसं में आरोपी श्री मदनलाल, पटवारी, पटवार हल्का सुनारी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 23/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

  
28.1.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 198-202 दिनांक 28.01.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर नागौर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

  
28.1.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।